[Cag-all-offices] म०प्र० न्यायिक सेवा के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को केन्द्र के समान मंहगाई राहत की एक अतिरिक्त किश्त का भुगतान किये जाने के संबंध में।

agaeuttarakhand < agaeuttarakhand@cag.gov.in >

PAG Gwalior < agaemadhyapradesh1@cag.gov.in >

Thu, 09 Jul 2026 4:32:17 PM +0530

To "cag-all-offices"<cag-all-offices@lsmgr.nic.in>

Sir/Madam,

Please find the attached letter related to the subject mentioned above.

With regards,
Sr. Accounts Officer/Pension
O/o the Accountant General (A&E),
Madhya Pradesh, Gwalior.

CAG-ALL-OFFICES mailing list -- cag-all-offices@lsmgr.nic.in
To unsubscribe send an email to cag-all-offices-leave@lsmgr.nic.in

1 Attachment(s)

DR order judges.pdf
2.5 MB

Sr. AO/Pension

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)
डायरी सं 1850
10 JUL 2026
उत्तराखण्ड, देहरादून

उप महालेखाकार (प्रशा. व ले.) प्रकोष्ठ
ए.जी./डी.ए.जी. डायरी सं. 537
दिनांक 10/07/26

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

क्रमांक /पेंशन/ 863 - 896 दिनांक:- 9.7.26

प्रति,

1.	Principal Accountant General (A&E) Telangana, Saifabad, Hyderabad	500004
2.	Principal Accountant General (A&E) Andhra Pradesh, Vijayawada	520002
3.	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
4.	Accountant General (A&E) Assam, Guwahati, Maidamgaon Beltola, Guwahati	781029
5.	Accountant General (A&E) Bihar, Birchand Patel Marg, R-Block, Patna	800001
6.	Accountant General (A&E) Chhatisgarh, Baloda Bazar Road, Opp. Vidhan Sabha Road, Raipur	492005
7.	Director of Accounts/P.L.I. Govt. of Goa, Fazenda Building, Behind old Secretariat, Panji, Goa	403001
8.	Pr. Accountant General (A&E), Gujarat, Ahmedabad, "Audit Bhawan", Vth Floor, Navarangpura, Ahmedabad	380009
9.	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No. 4 & 5, Sector-33-B, Chandigarh	160047
10.	Pr. Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
11.	Pr. Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
12.	Pr. Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No. 5 Bengaluru	560001
13.	Pr. Accountant General (A&E), Kerala, Post Box No.5607, M.G Road Thiruvananthapuram	695001
14.	Pr. Accountant General (A&E), Jharkhand, Post office Doranda, Ranchi	834002
15.	Pr. Accountant General (A&E), Maharashtra,2nd floor, Partishtha Bhawan, New Marine Lines, Marashi Karve Road, Mumbai	400020
16.	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
17.	Pr. Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
18.	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shillong	793001
19.	Accountant General (A&E), Mizoram, New Capital Parisar, Khatla, Aizawl	796001
20.	Pr. Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
21.	Accountant General (A&E), Odissa, Bhubaneswar	751001
22.	Accountant General (A&E), Punjab & UT of Chandigarh, Sector 17 E, Chandigarh	160017
23.	Pr. Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
24.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deorai, PO-Tadong, Gangtok	737102
25.	Accountant General (A&E), Tamilnadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
26.	Accountant General (A&E), Tripura, PO-Kunjavan, Agartala	799006

27.	Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Audit Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow (U.P)	226001
28.	Accountant General (A&E)-II, 20 Sarojini Naidu Marg, Uttar Pradesh, Prayagraj (U.P)	211002
29.	Pr. Accountant General (A&E), Uttrakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun	248195
30.	Pr. Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Building, Kolkata	700001
31.	Director od Accounts and Treasuries, Govt. of Pondicherry	605001
32.	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 2rd Floor, A-Wing, Jawaharlal Nehru Bhawan, 23-D Janpath, New Delhi	110011
33.	Pay & Accounts Officer No.5, Pension Govt. of National Capital Territory of Delhi Treasury Building, Tis Hazari, New Delhi	110054
34.	Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Jawaharlal Nehru Bhawan, 23-D, Janpath, New Delhi)	110011

Sub:- मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को केन्द्र सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के समान महगांई राहत की स्वीकृति संबंधि विभिन्न आदेश प्रदाय किये जाने के संबंध में।

Ref:- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग का फा.कमांक 2272/E-883668/2026/21--ब(एक) भोपाल, दिनांक 18.06.2026।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र कमांक 01 द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को केन्द्र सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के समान महगांई राहत की स्वीकृति संबंधि आदेश इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ कोषालय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजनें की व्यवस्था करें।

तदनुसार उपरोक्त आदेश की प्रतिलिपि समुचित कार्यवाही हेतु विशेष मुद्रा प्राधिकार के अंतर्गत सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(signature)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

12636

-872

मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 2272 / E-883668 / 2026 / 21--ब(एक), भोपाल, दिनांक 18.06.2026

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः— म0प्र0 न्यायिक सेवा के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को केन्द्र के समान मंहगाई राहत की एक अतिरिक्त किश्त का भुगतान किये जाने के संबंध में।

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा ज्ञापन संख्या 42/02/2024-P&PW(D)/E-9475 दिनांक 24 अप्रैल, 2026 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से केन्द्र सरकार के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को उनके पूर्व कार्यालयीन ज्ञापन संख्या 42/02/2024-P&PW(D) दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के अनुक्रम में **दिनांक 01 / 01 / 2026 58% से बढ़ाकर 60% महंगाई राहत** का लाभ दिया गया है। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के नियम—11(3) के तहत ये पुनरीक्षित दरें मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों पर लागू होंगी।

अतः राज्य शासन केन्द्र सरकार के उक्त समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 24 / 04 / 2026 में वर्णित शर्तों के अध्याधीन राज्य के न्यायिक सेवा के समस्त सेवानिवृत्त सदस्यों को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2022 के नियम—11(3) अनुसार **दिनांक 01 / 01 / 2026 से पेंशन पर राहत 58% से बढ़ाकर 60% की दर** से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

h. Madhav
24/7/26

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
ANIL KUMAR PATHAK
Date: 18-06-2026
10:49:48

(अनिल कुमार पाठक)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

DA-52
2.7.26

निरंतर 2 पर..

DA Orders of Judicial Officers

पृ.फा.क्रमांक 2272/E-883668/2026/21–ब(एक), भोपाल, दिनांक 18.06.2026

प्रतिलिपि:–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर,
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल,
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल,
5. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल,
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय भोपाल,
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल,
12. रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल,
13. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल,
14. रजिस्ट्रार, म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल,
15. रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनीवर्सिटी, भोपाल,
16. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल,
17. रजिस्ट्रार, मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
18. सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवालय, भोपाल,
19. सचिव, स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
20. महानिदेशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
21. प्रधान महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
22. समस्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मध्यप्रदेश,
23. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मंडल, पर्यावास भवन, भोपाल,
24. आयुक्त, कोष एवं लेखा, संचालनालय, म.प्र. भोपाल,
25. संचालक, पेंशन, भविष्यनिधि एवं बीमा किसान भवन, भोपाल,
26. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
27. संभागीय पेंशन अधिकारी, सतपुड़ा भवन,प्रथम तल, भोपाल,
28. समस्त कोषालय, अधिकारी, मध्यप्रदेश,
29. उप सचिव, लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश,
30. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश,
31. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड भोपाल
32. प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक ऑफिस कॉम्पलैक्स गौतम नगर भोपाल
33. प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा 202, जोन 1, गंगा जमुना कॉम्पलैक्स एम.पी नगर भोपाल
34. प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
35. प्रबंधक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया 52 होटल ताज बिल्डिंग हमीदिया रोड भोपाल
36. प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9, अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
37. प्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक, एफ.जी.ए.– ऑफिस नियर अरेरा हिल्स भोपाल

DR Orders of Judicial Officers

निरंतर 3 पर...

सं.42/02/2024-पी&पीडब्ल्यू(डी)/ई-9475
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक : 24 अप्रैल, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की मंजूरी - संशोधित दर दिनांक 01 जनवरी, 2026 से लागू।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/02/2024-पी&पीडब्ल्यू(डी) का संदर्भ देने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को अनुज्ञेय महंगाई राहत को, दिनांक 01 जनवरी, 2026 से मूल पेंशन/कुटुंब पेंशन (जिसमें अतिरिक्त पेंशन/अतिरिक्त कुटुंब पेंशन भी है) के 58% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 60% कर दिया जाए।

2. महंगाई राहत की ये दरें, सशस्त्र बलों के पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी और सिविल पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी जिनके लिए रक्षा सेवा प्राक्कलनों से अदायगी की जाती है सहित केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों; रेलवे पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों; अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों; ऐसे पेंशनभोगी जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और इस विभाग के 23 जून, 2017 के का.ज्ञा.सं.4/34/2002-पी&पीडब्ल्यू(डी)खंड-II और इस विभाग के 11 सितंबर, 2017 के का.ज्ञा.सं.23/3/2008-पी&पीडब्ल्यू(बी) के पैरा 6 द्वारा कवर किए गए पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों पर लागू होगी।

3. महंगाई राहत के संदाय में जहां रूपये का कोई भाग हो, वहां उसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाए।

4. महालेखाकार कार्यालय और प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों से अनुरोध है कि वे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के दिनांक 23 अप्रैल, 1981 के पत्र सं 528-टीए, II/34-80-II और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 मई, 1981 के परिपत्र संख्या जीएएनबी सं 2958/जीए-64 (ii) (सीजीएल)/81 को ध्यान में रखते हुए, किसी अन्य अनुदेशों की प्रतीक्षा किए बिना, उपर्युक्त अनुदेशों के आधार पर, पेंशनभोगियों और कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के संदाय का प्रबंध करें।

5. भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

6. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 22 अप्रैल, 2026 के कार्यालय ज्ञापन सं 1(1)/2026-ई.II(बी) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

(डॉ प्रमोद कुमार)
निदेशक

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और प्रशासक।
3. सभी प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के सीएमडी/सीपीसीसी
4. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)
5. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सूचनार्थ।

38. प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एफ.जी.एम ऑफिस नियर गवर्मेंट प्रेस अरेरा हिल्स भोपाल
39. श्री एम.आर. पाण्डे, अध्यक्ष म.प्र. न्यायिक सेवानिवृत्त संघ, 192, न्याय नगर, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) पिन--452010,
40. अवर सचिव, मानिटरिंग (विभागीय वेबसाइट एवं एफ0टी0एम0एस0 पर अपलोड किये जाने हेतु) विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
41. प्रधान महालेखाकार, अन्य राज्य........................
42. रजिस्ट्रार, म.प्र. औद्योगिक न्यायालय, मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर
43. प्रभारी स्थापना शाखा, विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल,
44. बिल लिपिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Digitally signed by
HEMANT KUMAR AGARWAL
Date: 18-06-2026 11:01:46

(हेमन्त कुमार अग्रवाल)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

No.42/02/2024-P&PW(D)/E-9475
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Date: 24th April, 2026

OFFICE MEMORANDUM

Sub: - Release of an additional installment of Dearness Relief (DR) to Central Government Pensioners/Family Pensioners - Revised rate with effect from 01st January, 2026 - reg.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/02/2024-P&PW(D) dated 8th October, 2025 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government Pensioners/Family Pensioners shall be enhanced from the existing rate of **58%** to **60%** of the basic pension/family pension (including additional pension/additional family pension) w.e.f. **01st January, 2026**.

2. These rates of DR will be applicable to all Central Government Pensioners/Family Pensioners including Armed Forces Pensioners/Family Pensioners and Civilian Pensioners/Family Pensioners paid out of the Defence Service Estimates; Railway Pensioners/Family Pensioners; All India Service Pensioners/Family Pensioners; Pensioners who are in receipt of Provisional Pension and also to those Pensioners/Family Pensioners covered under this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D)Vol.II dated 23rd June, 2017 and para 6 of this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11th September, 2017.

3. The payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

4. The offices of Accountant General and authorized Pension Disbursing Banks are requested to arrange payment of Dearness Relief on the basis of these instructions without waiting for any further instructions in view of Comptroller and Auditor General of India's letter No. 528- TA, II/34-80-II dated 23rd April, 1981 and Reserve Bank of India's Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated 21st May, 1981.

5. In so far as the persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

6. This issues in accordance with the Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/1(i)/2026-E.II(B) dated 22nd April, 2026.

Hindi version will follow.

प्रमोद

(Dr. Pramod Kumar)
Director

1. All Ministries/Departments of the Government of India.
2. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs/CPPCs of all authorized Pension Disbursing Banks.
4. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.